मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ.क्रमांक 3- /77/3/1 भोपाल, दिनांक जुलाई, 1977.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश.

विषय :- आदिवासी क्षेत्रों के रिक्त पदों में सर्वप्रथम पद-स्थापना करना ।

आदिवासी क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ बनाए जाने के संबंध में पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 1/2030/1(3)/77 दिनांक 25 नवम्बर 75 के द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि इन क्षेत्रों में ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी पदस्थ किए जायें, जिनकी आदिवासियों के कल्याण के प्रति विशेष रुचि हो तथा जो इनमें हिलमिल सकें। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि इन क्षेत्रों में पद-स्थापना दंड स्वरूप मानकर न की जाये ।

2/ आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिकविकास की गति में तेजी से वृद्धि लाने के लिए परियोजनायें शुरू की गई हैं और अब यह और भी महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में कोई भी पद रिक्त न रहे और साथ ही सक्षम अधिकारी या कर्मचारी ही पदस्थ किए जायें ।

3/ शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि जब किसी शासकीय सेवक की किसी भी ऐसे संवर्ग में प्रथम पदोन्नति की जाती है, जो आदिवासी क्षेत्रों में भी है, तो उन्हें सर्वप्रथम आदिवासी क्षेत्रों में ही पदस्थ करना चाहिए । यदि किसी विशेष परिस्थिति में यह सम्भव न हो, तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और इस प्रकार के अपवाद के लिए विभाग के सचिव की अनुमति ली जानी चाहिए ।

4/ यदि कोई शासकीय सेवक आदिवासी क्षेत्रों में प्रथम पदोन्नति पर जाने में आनाकानी करता है या अन्यथा अनिच्छुक है, तो सिर्फ इसी आधार पर उसकी पदोन्नति के आदेश निरस्त किए जा सकेंगे और उससे कनिष्ठ व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में हो, पदोन्नत कर आदिवासी क्षेत्र में पदस्थ किया जा सकेगा । इस प्रकार जिस शासकीय सेवक के पदोन्नति के आदेश निरस्त किए जाते हैं उसका नाम उस चयन-सूची से भी निकाल दिया जाएगा । भविष्य में नई चयन-सूची बनाते समय भी ऐसे व्यक्तियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते समय इस बात को विशेष-रूप से ध्यान में रखा जाएगा कि उसने पूर्व में आदिवासी-क्षेत्रों में पदोन्नति पर जाने से इन्कार किया था ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(व्ही.जी.निगम)
विशेष सचिव
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.